COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CF
2
7.00

नकल आदेश दिनांक 23/10/21 न्याय उपजिलाधिकारी केराकत जौनपुर वाद संख्या T202114360504536 धारा 80 उ०प्र०रा०सं० 2006 मौजा नयनपुर परगना व तहसील केराकत जनपद जौनपुर डी०एम०वी० बनाम गावसभा ता० फै० 23/10/21 !

कालिया के साथ नकल की छाया प्रति संलग्न है

CN. 790
30/10/21

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :वाराणसी,जनपद :जौनपुर,तहसील :केराकत
वाद सख्या :-4536/2021
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202114360504536
डी०ए०वी० बनाम गांव सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद डी0ए0वी0 संस्थान नयनपुर जरिये प्रबन्धक अनिल कुमार पुत्र रामकरन निवासी ग्राम—कोपा परगना व तहसील—केराकत जिला—जौनपुर के प्रार्थना—पत्र दिनांक 20.07. 2021 पर संस्थित किया गया ।

वाद पत्र मे ग्राम सभा मौजा—नयनपुर, परगना व तहसील—केराकत, जिला—जौनपुर के फसली वर्ष 1429—1434 के खाता सं0 00037 व 00038 व 00039 मे अंकित गाटा सं0 94मि0 / 0.2550हे0 व 94मि0 / 1.0050हे0 व 91 / 0.0690हे0 व 94मि0 / 1.1350हे0 कुल रकबा 2. 464हे0 के सम्पर्ण भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। बल्कि उक्त भूमि का प्रयोग वाणिज्यिक रुप मे होता है। इस मूल्यांकन का एक प्रतिशत 105952 रू0 का ट्रेजरी चालान को जमा किया। जिसकी रसीद संलग्न पत्रावली है। साथ ही रू0 106000 का कोर्ट फी जमा करके अकृषिक घोषित करने हेतु आवेदन किया है।

वादी के प्रार्थना—पत्र के संदर्भ मे तहसीलदार केराकत से जॉच आख्या मगाई गयी तहसीलदार केराकत की जॉच आख्या दिनांक 23.09.2021 का अवलोकन व परिशीलन भली—भॉति किया गया। जॉच आख्या से स्पष्ट होता है की वादी डी0ए0वी0 संस्थान नयनपुर जरिये प्रबन्धक अनिल कुमार पुत्र रामकरन निवासी ग्राम—कोपा परगना व तहसील—केराकत जिला—जौनपुर की डी0ए0वी0 संस्थान स्थित ग्राम—नयनपुर, परगना व तहसील—केराकत, जिला—जौनपुर गाटा सं0—94मि0 / 1.0050हे0 व 91 / 0.0690हे0 व 94मि0 / 1.1350हे0 व डी0ए0वी0 कालेज स्थित ग्राम—नयनपुर, परगना व तहसील—केराकत, जिला—जौनपुर गाटा सं0—94मि0 / 0.2550हे0 कुल रकबा 2.464हे0 के सम्पर्ण भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। बल्कि उक्त भूमि का प्रयोग वाणिज्यिक रुप मे होता है। तथा इसका अकृषिक प्रयोजन हेतु प्रयोग होता है। यह भूमि अकृषिक घोषित किये जाने योग्य है। तदनुसार आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि डी0ए0वी0 संस्थान की स्थित नयनपुर, परगना व तहसील—केराकत, जिला—जौनपुर के फसली वर्ष 1429—1434 के खाता सं0 00038 मे अंकित गाटा सं094मि0 / 1.0050हे0 व खाता सं0 00039 मे अंकित गाटा सं0 91 / 0.0690हे0 व 94मि0 / 1.1350हे0 व डी0ए0वी कालेज की स्थित ग्राम—नयनपुर परगना व तहसील—केराकत जिला—जौनपुर की फसली वर्ष 1429—1434 के खाता सं0 00037 मे अंकित गाटा सं0 94मि0 / 0.2550हे0 के सम्पर्ण भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए भू0रा0 से अवमुक्त किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो। वाद आदेश अनुपालन आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो।

23/10/2021
(कौशलेश कुमार मिश्र)
उपजिलाधिकारी
केराकत,जौनपुर

आवेदन पत्र का नम्बर 790
शुल्क 7.00 30/10/21
तैयारी करने की तिथि 30/10/21
जारी करने का दिनांक 30/10/21
200

सत्य प्रतिलिपि
30/10/2021
जिलाधिकारी